कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक: 2878 /FP/UK/ROAD/8930/2014 दिनॉक:देहरादून: 10 अप्रैल, 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ में नाघर–कुमल्टा से गंगोलीहाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819 सिविल एवं वन पंचायत वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 का पत्रांक 153/X-4-15/1(74)/2015 दिनांक 30–03–2015 (प्रति संलग्न)

महोदय,

राज्य सरकार, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 8,00,000.00 (रू0 आठ लाख) मात्र की धनराशि सम्बन्धित कोष में जमा की जानी है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में रू0 7,34,643.00 (रू0 सात लाख चौतीस हजार छः सौ तैतालीस) मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जानी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के हिसाब से धनराशि जमा करेंगे।
4. शर्त संख्या–4 व 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदो में देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड़ शाखा में जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु कारपोरेशन बैंक द्वारा जारी पुष्टि का पत्र मय UTR नं0 भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इसकी सूचना तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की जा सके।
5. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों के अन्तर्गत सुरक्षा उपायों हेतु निर्धारित बजट की सूचना उपलब्ध करायी जानी है एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है कि जनपद–कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। R.N.-1574/22-4 दि. 22\4\015
7. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख / प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

AE-1 | अवलोक 22/4/15

४. शर्त संख्या–9 उपरोक्त शर्तो के अनुपालन होने के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु शासन को लिखा जायेगा।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
वन संरक्षक

संख्या /FP/UK/ROAD/8930/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, जनपद–पिथौरागढ़।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़। **(संलग्नः–यथोपरि)**

(मनोज चन्द्रन)
वन संरक्षक

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रांक 2734 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़,01-02 ~~जनवरी~~, 2019।

426
5/2/19
22 प्रा०ठ०

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,देहरादून।

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ में नाघर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग 0.819 हे0 की अनुपालन आख्या वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

संदर्भः– आपका पत्रांक 643/FP/UK/ROAD/8930/2014 दि0 05–09–2018 व प्रस्तावक विभाग की पत्र सं0 2759 दि0 15–11–2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालान आख्या संलग्न कर प्रषित की जा रही है व प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

संख्याः– / **दिनांकित ।**

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

अमीत
4-2-19
4-2-2019

3621
6/9/022
22 प्रा0वि0

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रांकः 681 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 18 अगस्त, 2022।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

✓जनपद पिथौरागढ़ नाघर से कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की नवीन संशोधित दर के अनुसार धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD/8930/2014)** ।

- भारत सरकार की पत्र सं0 **5-3/2011-FC** दिनांक 06.01.2022 व भारत सरकार का पत्र दिनांक 19.01.2022 ।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्रों के क्रम में ऐसे जो कि दिनांक 06.01.2022 के बाद स्वीकृत हैं, अथवा ऐसे प्रकरण जिनमें कि सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत बाद 05 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका हो, में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के क्रम में वी0 की संशोधित दरों के अनुसार शेष धनराशि जमा की जानी अनिवार्य है। अतः उक्त के क्रम में वी0 की नवीन दरों के अनुसार पुनः संशोधित डिमाण्ड नोट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मद	इकाई	दर	कुल धनराशि	पूर्व में जमा धनराशि	जमा किये जाने योग्य शेष धनराशि (रु0)
एन0पी0वी0	**0.819** है0	1372410/– (ईको क्लास–VI) घनत्व 0.4	1124003.79/– ✓	734643/– ✓	389360.79/– या 389361.00/– ✓

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट के सत्यापन के धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

– 681 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

अनु0सं0– 22, लेखाशीर्षक 5054–04–800–05–00–24 (आयोजनागत)

मार्ग / परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हे0)	जनपद	[illegible]	[illegible] धनराशि	[illegible]	[illegible] धनराशि	[illegible]	योग
2	3	4	5	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10
(फरसोली) मो0 मार्ग।	[illegible].810	पिथौरागढ़		[illegible]570	[illegible]	400000	0	[illegible]
[illegible] कनालीछीना से ल्वांठी मो0 मार्ग।	[illegible].620	पिथौरागढ़		[illegible]	[illegible]	[illegible]000		[illegible]
[illegible]–चौपड़ा–भटगांव–बढ़ई मो0 मार्ग का निर्माण।	3.2[illegible]	रूद्रप्रयाग		[illegible]153	[illegible]	300000	0	[illegible]
[illegible]नन्दा नदी पर निरवाली–धारकाट में झूलापुल का निर्माण।	0.030	रूद्रप्रयाग		197100	[illegible]	0	0	[illegible]
[illegible] बैण्ड से चौकी बर्सिल एवं खुजीर बैण्ड–चौकी बर्सिल से तमिल्ड [illegible]खाल मो0 मार्ग का विस्तार।	0.990	रूद्रप्रयाग	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नाइल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्र [illegible]	650430	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]खुगोड़–बांसो–कोटली–सैंडिया–जवाड़ी–उन्यांसू–सल्यासू मो0 मार्ग [illegible]निर्माण।	[illegible]	रूद्रप्रयाग		[illegible]				[illegible]
[illegible] रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत मक्कू सम्पर्क मो0 मार्ग।	0.074	रूद्रप्रयाग		625300	1001786	0	0	1627086
[illegible]गधेरा (सुवाकोट–पोखरी) में 11 मी0 लम्बाई में पैदल पुल का [illegible]।	0.800	नैनीताल		75120	0	245553	0	320673
[illegible]खोल के निकट सांवनी में रूपिन नदी के ऊपर 80 मी0 लम्बी [illegible]पुल का निर्माण।	0.211	उत्तरकाशी		138500	0	102402	0	240902
योगः– (क0सं0 1 से 26 तक)				45516177	13530206	15536879	44835	74628097

[illegible]0 25 बजट शीट–01 दि0 16.05.2015

अब आवंटित धनराशिः ₹ सात करोड़ छियालीस लाख अट्ठाईस हजार सतानब्बे मात्र।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

सड़क निर्माण के प्रकरण, जिनमें भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान ... [illegible]

द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पथ वृक्षारोपण की धनराशि जमा की जानी है, हेतु ... [illegible]

अनु0सं0— 22, लेखाशीर्षक 5054—04—800—05—00—24 (आयोजनागत)

(धनराशि ₹ में)

मार्ग / परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (है0)	जनपद	[illegible]	एन0पी0वी0 की देय धनराशि	[illegible] की देय धनराशि	[illegible] वृक्षारोपण की देय धनराशि	भवन निष्कासन	योग (कालम 6+7+8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]स—उडीमहादेव—शैलापानी—भिकियासैण—मरचूला मो0 मार्ग।	13.842	अल्मोड़ा	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्र संख्या 3162 / 1—41—4 देहरादून दि0 07.05.2015	2094194	958812	0	0	3053006
[illegible]मोड़ा—देघाट—खल्डुवा मो0 मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण।	0.015	अल्मोड़ा		0	0	0	44835	44835
[illegible]त्यासैण—विनायक मो0 मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण।	0.080	अल्मोड़ा		52560	80000	11944	0	144504
[illegible]ड़ा—जेठाई मो0 मार्ग से गुरना बागेश्वर दफाट मो0 मार्ग।	1.820	बागेश्वर		1537900	520520	800000	0	2858420
[illegible]पुर ब्लाक के नालापानी मार्ग से कोटालगांव मो0 मार्ग।	0.9625	देहरादून		0	0	174890	0	174890
[illegible]लीगड्ड से दुधई तक मो0 मार्ग।	2.8184	देहरादून		2646478	732784	0	0	3379262
[illegible]नपद देहरादून के अन्तर्गत सेलाकुई में केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को लीज पर दी गई 136.08 है0 वन [illegible] में से हिमगिरी नव विश्वविद्यालय शीशमबाडा देहरादून के पहुंच [illegible]र्ग का निर्माण।	0.4320	देहरादून		[illegible]184	470000	482000	0	[illegible]
[illegible]डाक—मैइला—तड़ीगांव मो0 मार्ग।	1.935	पिथौरागढ़		1352565	553410	800000	0	2705975
[illegible]घर—कुमल्टा से गंगोलीहाट मो0 मार्ग। (नाचनी कुमल्टा गंगोलीहाट मो0 मार्ग)	0.819	पिथौरागढ़		734643	0	800000	0	1534643
[illegible]टेगांव—साईखोला—सेरीकाण्डा मो0 मार्ग।	4.830	पिथौरागढ़		4332510	1381380	2000000	0	7713890
[illegible]डकिनी—जलतुड़ी मो0 मार्ग।	0.982	पिथौरागढ़		880406	0	500000	0	1380406
[illegible]ण्डारीगांव—रजवार—बोक्टा—धुराली मो0 मार्ग।	3.870	पिथौरागढ़		3471390	1106820	2000000	0	6578210
[illegible]सेलोनी—चिमताली—भैंसढूंगा—मझेड़ा—चौरा—जमतड़ी मो0 मार्ग।	2.610	पिथौरागढ़		2341170	746460	1200000	0	4287630
[illegible]ण्डाक—बांस मो0 मार्ग (पोखरी) से रतवाड़ी ततरोड़ा मो0 मार्ग।	0.955	पिथौरागढ़		667545	0	1800000	0	2467545
[illegible]रोड़ीपाली—रसियापाटा मो0 मार्ग।	2.295	पिथौरागढ़		2058615	656370	1000000	0	3714985
आपदाग्रस्त एंचोली—जाख—पुरान मो0 मार्ग।	2.970	पिथौरागढ़		2076030	849420	820000	0	3745450
आपदाग्रस्त बड़ावे—उण्डणा—फूसरखाली—गोधागैर—खर्कगैर मो0 मार्ग।	0.270	पिथौरागढ़		242190	0	400000	0	642190

16.5.2015

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

PayOrder Details

e-PayOrder Number	CN36244196
Debit Status	Success
Scheduled Time	27-May-2015 |12:00 AM| IST

27-May-2015

Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal

Seven Crores Forty Six Lakhs Twenty Eight Thousand Ninety Seven only

7,46,28,097.00

00000010901749156

116208SFTPUSER Maker

Jagat Singh Chauhan Authorizer 1

DEHRADUN

"CN36244196"

010027051542796

Counterfoil Description	E01002127051542794
Transaction Type	NEFT Funds transfer

Debit Account Details

Account No	Branch	Amount
00000010901749156	DEHRADUN	7,46,28,097.00

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSCCode	Amount	Credit Status	UTR N.
Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal/037100101025229	NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORPORATION BANK/CORP0000371	7,46,28,097.00	Fund settled by RBI with beneficiary Bank.	SBIN215[illegible]

Phone :- 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक /एन०पी०वी०

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय — वित्तीय वर्ष 2015—16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण, प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ — इस कार्यालय का पत्रांक 1546/एन०पी०वी०, दिनांक 27—05—2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015—16 में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिए एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि ₹ 7,46,28,097.00 (₹ सात करोड़ छियालीस लाख अट्ठाईस हजार सत्तानब्बे) मात्र का भुगतान संदर्भित पत्र द्वारा किया जा चुका है, जिसका U.T.R. No. SBIN215147701748 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक — उपरोक्तानुसार।

(वाई०एन० राजवंशी),
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

पत्रांक 1687 /एन०पी०वी० दिनांक 6/6/2015.

प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1— महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
2— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।
4— प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड लो०नि०वि०, देहरादून।
5— वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर— I, लो०नि०वि०, देहरादून।
6— मुख्य अभियन्ता स्तर— I, स्तर 2 लो०नि०वि० देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा हल्द्वानी।
7— अधीक्षण अभियन्ता (2) ... लो०नि०वि० शिविर वृत्त अल्मोड़ा (1)/नैनीताल पिथौरागढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/... (7)/देहरादून (9)/पौड़ी (12) ... अधीनस्थ खण्डों को तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

Phone :– 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand

Website-http://pwd.uk.gov.in E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक /एन०पी०वी० दिनांक / /2015.

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय – <u>वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के लिये आवंटन।</u>

संदर्भ – *प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून का पत्रांक 409/25 बजट–टी०सी० (एन०पी०वी० एवं प्रतिकर भुग–रा०से०)/2015–16, दिनांक 18–05–2015.*

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2015–16 में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिये एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि ₹ 7,46,28,097.00 (₹ सात करोड़ छियालीस लाख अठ्ठाईस हजार सत्तानब्बे) मात्र का भुगतान संलग्न सूची के अनुसार ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से किया गया है।

1.	एन०पी०पी० भुगतान हेतु	₹	4,55,16,177.00
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹	1,35,30,206.00
3.	पथ वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹	1,55,36,879.00
4.	मलवा निस्तारण	₹	44,835.00
	योग	₹	7,46,28,097.00

अर्थात कुल ₹ 7,46,28,097.00 मात्र आई०डी संख्या CC0100157105150043 के माध्यम से दिनांक 23–05–2015 द्वारा *Compensatory Afforestation Fund(CAF), Uttaranchal S B A/c No. 0371001010252229* कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में देय आपको प्रेषित किये जा रहे है। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाप्रति भी संलग्न की जा रही है।

संलग्न – 1– आई०डी संख्या CC0100157105150043 की छायाप्रति।
2– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

AE II

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

पत्रांक 1546 /एन०पी०वी० दिनांक 27/05/2015.

<u>प्रतिलिपि</u> – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स, सहारनपुर रोड़ माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं क्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।
4– प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
5– वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लो०नि०वि०, देहरादून।
6– मुख्य अभियन्ता स्तर 1/स्तर 2, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
7– अधीक्षण अभियन्ता वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, सिविल वृत्त अल्मोड़ा (1)/नैनीताल (2)/पिथौरागढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/बागेश्वर (7)/देहरादून (9)/पौड़ी (12)/लो०नि०वि० अधीनस्थ खण्डों को तद्नुसार सूचित करने का कष्ट करेंगे।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

PROFORMA OF DEPOSIT OF FUNDS IN ADHOC-CAMPA

Name of Proposal: जनपद पिथौरागढ में नाघर–कुमल्टा से ~~मंमोलीहाट~~ गंगा सेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819 सविल एंव वन पंचायत वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन में सैद्वान्तिक स्वीकृति में लगाई गयी शर्तो के अनुपालन हेतु ।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रं सं0 2878 / FP / UK/ROAD/8930/2014 दिनाक 10–04–2015 |

1	Name of Regional Office	Government of India Ministry of Environment, Forest & Climate Change Integrated Regional Office, Dehradun 25 Subhash Road, Dehradun-248001 Phone-0135-2650809
2	State/Dist./Forest Division to which the proposal relates	Uttarakhand/ Pithoragarh / प्रभागीय वनाधिकारी ,पिथौरागढ वन प्रभाग पिथौरागढ
3	Name of the User Agency, nature of proposal	Provincial Division P.W.D Pithoragarh, Forest land Diversion for road Construction
4	Extent Forest area involved	0.819 Ha
5	Whether original, or extension	Original
6	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional Forest area, if so, specify.	NA
7	Date of 1ST stage clearance	15-04-2015
8	Extant of CAMPA charges, head wise viz.	
9	(a) Compensatory Afforestation	₹ 0.00
10	(b) Additional CA	-
11	(c) Road Side Gap plantation	₹ 8,00,000.00
12	(d) Panel CA	-
13	(e) Catchment Area Treatment	-
14	(f) Wild Life Management Plan	-
15	(g) Additional charges for Diversion of area falling under notified/ protected areas.	-
16	(h) Net present Value.	₹ 7,34,643.00
17	(i) Any other charges/Levies (pl Specify) Blank Spaces Plantation. (j) Road side Plantation	-
18	Total	₹ **15,34,643.00**

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ

9	Detail of Bank (Bank, draft No., Date & Amount) Head wise against items indicated in 8 above.	-
10	Whether deposit by RTGS, if so, the particulars & date of remittance.	NPV Paid Through NEFT Fund Transfer on Date 27-05-2015 of Total Amount 7,46,28,097.00 Which is Inclusive of Above NPV Demand of Rs.734643.00 Vide UTR No SBIN 21514770 1748 date 27-05-2015 as attach document.
11	Bank (Corporation Bank, Lodhi complex/Union Bank of India, Sundar Nagar) in which deposited with date of deposition.	NEFT Fund Transfer in Name of COMPENSATORY AFFORESTATION FUND (CAF) UTTARANCHAL A/C No.037100101025229 Corporation Bank, Lodhi complex New Delhi and Submitted to अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी , वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरस्ट कालोनी , उत्तराखण्ड देहरादून।
12	Any other Remarks	NIL

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

2.9

प्रारुप—42

परियोजना का नामः— **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन मय मानचित्र
क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के साथ संल्गन किया जाना है लागू नहीं।

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/—
प्रभागीय वनाधिकारी

(जगदीश सिंह बिष्ट)
वन दरोगा
सौड़लेख अनुभाग

वन क्षेत्राधिकारी
[illegible]

Sub. Divisional Officer
Didihat
Pithoragarh Forest Divi.

2.34

प्रारुप–39

परियोजना का नामः– **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

<u>परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
पिथौरागढ़

2·9

प्रारुप—42

परियोजना का नामः— **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन मय मानचित्र
क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के साथ संल्गन किया जाना है लागू नहीं।

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/—
प्रभागीय वनाधिकारी

(जगदीश सिंह बिष्ट)
वन दरोगा
सौड़लेख अनुभाग

वन क्षेत्र अधिकारी
पिथौरागढ़

Sub. Divisional Officer
Didihat
Pithoragarh Forest Divi.

2.30

प्रारुप–36

परियोजना का नामः– **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र
मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्घित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गो का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

ह0/
प्रयोक्त

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0
पिथौरागढ़

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No--- Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.819** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Douli, Virkitiya, Gangaseri, Bhatar** village (s) in **Munakot (Pithoragarh)** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.819** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र- 2/21-मी.ग/
तहसील - पि-21/ट्/76
जिला-पिथौरागढ़

तहसीलदार
पिथौरागढ़

1.6 (B)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT -- PITHORAGARH (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/~~Mrs~~/~~Miss~~. Prasant Arya P.C.S deputy commissioner,. Pithoragarh on dated 15/12/14 at time 11:00 am at N.I.C. Pth in which application claiming rights in Gangaseni area measuring 0.819 hect for the construction of Road in forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of P.D.P.W.D sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh

Dated: 15/12/14

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committe

जिलाधिकारी पिथौरागढ़

1.6 (c)

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद पिथौरागढ में सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के रामकोट से पत्थरकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।** (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.729** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि **0.090** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.819** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कनालीछीना) की दिनांक 10.12.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सन्तराम आर्य उपजिलाधिकारी पिथौरागढ़ ——अध्यक्ष
2– श्री अविनाश कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट ——सदस्य
3– श्री दीपक आर्या सहायक समाज कल्याण अधिकारी मूनाकोट सदस्य/सचिव
4– श्री पुष्पा देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र मूनाकोट ——सदस्य

सा0 क्षे0 स0 – पुष्पा देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद पिथौरागढ में सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के रामकोट से पत्थरकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।** परियोजना हेतु **0.819** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनु ंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत नाधर कुमलता से गंगासेरी मो.मा. परियोजना के निर्माण हेतु 0.819 हे0 वन भूमि प्रा. खं. लो. नि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– डीडीहाट
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील– पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–प्रत्र

ग्राम पंचायत का नाम ———— गंगासेरी

तहसील– पिथौरागढ़ जिला– पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागड के अन्तर्गत **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु (**0.00** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.729** हे0 सिविल सोयम भूमि **0.090** हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.819** .हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत **गंगासेरी** द्वारा दिनांक 30/11/24 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **गंगासेरी** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गंगासेरी
न्याय पंचायत कुमलताधार
वि.ख.-मूनाकोट, पिथौरागढ़

सरपंच
वन पंचायत गंगासेरी
विकास खंड–मूनाकोट
पिथौरागढ़

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान
ग्राम पंचायत–गंगासेरी
वि.खं. मूनाकोट, पिथौरागढ़

प्रारुप–30.4

दिनांक 30/11/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गंगासेरी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	केशवदत्त कापड़ी	केशवदत्त
2	बालाकिशन कापड़ी	बालाकृष्ण
3-	धर्मानन्द कापड़ी	धर्मानन्द
4-	नारायणदत्त	नारायण दत्त
5-	लक्ष्मणराम	लक्षमण राम
6-	नवीनचन्द्र	नवीन
7-	श्रीमती लीलादेवी	लीला देवी
8-	" गोदावरीदेवी	गोदावरी देवी
9-	" कौशल्यादेवी	कौशल्या देवी
10-	" देवकी देवी	देवकी
11	श्री रमेश पाण्डे	[signature]
12	" रेवाधर कापड़ी	रेवाधर
13	" रविआनन्द पाण्डे	रविआनन्द
14	" जोगाराम	जोगाराम
15	" हरीदत्त	[signature]

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गंगासेरी
न्याय पंचायत कुमलतानाधार
वि.ख.-मूनाकोट, पिथौरागढ़

CHAMPA
प्रधान
ग्राम पंचायत–गंगासेरी
वि.खं. मूनाकोट, पिथौरागढ़

1.6 (A)

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand   Office of the District Collector Pithoragarh

No---   Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.819** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Douli, Virkitiya, Gangaseri, Bhatar** village (s) in **Munakot (Pithoragarh)** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.819** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र- 2/ 21नाै।m/
तहसील - पि-2/रि/ट/76
जिला-पिथौरागढ़

तहसीलदार
पिथौरागढ़

1.6 (B)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT -- PITHORAGARH (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Prasant Arya P.C.S deputy commissioner,. Pithoragarh on dated 15/12/14.. at time .11:00 am.at N.I.C. Pth in which application claiming rights in Gangaseni.. area measuring ..0.819... hect for the construction of ..Road....in.... forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of P.D. P.W.D sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.. Pithoragarh

Dated:...15/12/14

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committe

जिलाधिकारी पिथौरागढ़

1.6 (c)

प्रारुप—30.2

परियोजना का नाम :— **नाघर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद पिथौरागढ में सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के रामकोट से पत्थरकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।** (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.729** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि **0.090** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.819** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कनालीछीना) की दिनांक 10.12.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ——————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री सन्तराम आर्य उपजिलाधिकारी पिथौरागढ़ —अध्यक्ष
2— श्री अविनकुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट —सदस्य
3— श्री दीपक आर्या सहायक समाज कल्याण अधिकारी मुनाकोट सदस्य/सचिव
4— श्री पुष्पा देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र मुनाकोट —सदस्य

सा0 क्षे0 स0 - पुष्पा देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद पिथौरागढ में सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के रामकोट से पत्थरकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।** परियोजना हेतु **0.819** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनु ंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत नाघर कुमलता गंगासेरी मो0मा0 परियोजना के निर्माण हेतु 0.819 हे0 वन भूमि प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— डीडीहाट
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील— पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ——————— गंगासेरी

तहसील– पिथौरागढ़ जिला– पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागड के अन्तर्गत **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु (**0.00** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.729** हे0 सिविल सोयम भूमि **0.090** हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.819** .हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत **गंगासेरी** द्वारा दिनांक 30/11/24 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **गंगासेरी** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम सचिव मुहर सहित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गंगासेरी न्याय पंचायत कुमलतानाधर वि.ख.-मूनाकोट, पिथौरागढ़	सरपंच वन पंचायत गंगासेरी विकास खंड–मूनाकोट पिथौरागढ़	ह0/– ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित LHAMPA प्रधान ग्राम पंचायत–गंगासेरी वि.खं. मूनाकोट, पिथौरागढ़

प्रारुप–30.4

दिनांक 30/11/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गंगासेरी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	केशवदत्त कापड़ी	केशवदत्त
2	बालाकिशन कापड़ी	बालकिशन [illegible]
3-	धर्मानन्द कापड़ी	धर्मानन्द
4-	नारायणदत्त	नारायण दत्त
5-	लक्ष्मणराम	लक्षमण राम
6-	नवीनचन्द्र	नवीन
7-	श्रीमती लीलादेवी	लीला देवी
8-	" गोदावरीदेवी	गोदावरी देवी
9-	" कौशल्यादेवी	कौशल्या देवी
10-	" देवकी देवी	देवकी
11	श्री रमेश पाण्डे	[signature]
12	" रेवाधर कापड़ी	रेवाधर
13	" रविआनन्द पाण्डे	रविआनन्द
14	" जोगाराम	जोगाराम
15	" हरीदत्त	HDt

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गंगासेरी
न्याय पंचायत कुमलगाँवधार
वि.ख.–मूनाकोट, पिथौरागढ़

LHAMPA
प्रधान
ग्राम पंचायत–गंगासेरी
वि.खं. मूनाकोट, पिथौरागढ़

2.124

प्रपत्र–46

कार्य का नाम :– नाधर कुमलता के गांगोरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

पथ वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशी से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

मोटर मार्ग का नाम – नाधर कुमलता के गांगोरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।
(कुल 0.819 है0 वन भूमि)

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 200 पौध प्रति है0।

क्र0सं0	कार्य का नाम	संख्या	नपत			मात्रा	दर (रू0)	धनराशि
			लं0	चौ0	ऊँ0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ट्री गार्ड बनाने हेतु गढ्ढा खुदान का कार्य–	200	0.45	0.45	0.60	24.3	5.00	121.50
2	ट्री गार्ड बनाने हेतु पत्थरों का सिखोम्भ ढुलान (500 मी0 से 600 मी0) दूरी तक पत्थर ढोकर ट्री गार्ड बनाना – घटाया ट्री गार्ड का भीतरी भाग –	200	3.14	0.95 0.50	1.00 1.00	596.77 – 187.00 409.77	145.00	60[illegible]5.96
3	गढ्ढा भरान का कार्य–	200	0.45	0.45	0.60	200	0.60	120.00
4	बैग पौधों की कीमत–	200	-	-	-	200	5.00	1000.00
5	बैग पौधों को ट्रक में लादना व उतारना–	200	-	-	-	200	1.6	320.00
6	बैग पौधों का सिखोम्भ ढुलान–	200	3.00	कि0 मी0 दूरी		200	0.76	150.00
7	बैग पौधों का पौधालय से ट्रक द्वारा ढुलान–	200	30.00	कि0 मी0 दूरी		200	37.76	7550.00
8	बैग पौधों का रोपण व थलाबन्दी निराई–	200	-	-	-	200	0.50	100.00
9	गुढ़ाई प्रथम वर्ष दो बार–	200	-	-	-	200	0.33 0.80	66.00
10	अनुरक्षण कार्य प्रथम वर्ष–	6 माह	-	-	-	6 माह	1080.50	3743.00
11	अनुरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष से दस वर्ष तक–	9 वर्ष	-	-	-	108 माह	1000.00	[illegible]08.00
12	ट्री गार्ड में खाद कीटनाशक दवा आदि–	-	-	-	-	-	L.S	2000.00
13	अन्य व्यय – फोटोग्राफी यन्त्र संयन्त्र आदि–	-	-	-	-	-	L.S	1000.00
	योग प्रथम चरण							1[illegible]59.46

या 2,00000.00

पथ वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है0 = 2,000,00.00
पथ वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = 0.819 x 200000.00 = ~~163800.00~~ 8,000.00/-
4

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

220

प्रारुप—25

परियोजना का नाम :— नाघर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी ...17.100...किमी0 है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

(जगदीश सिंह बिष्ट)
वन क्षेत्राधिकारी
मानचित्र अनुभाग

वन क्षेत्राधिकारी

Sub. Divisional Officer
Didihat
Pithoragarh Forest Divi.

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

2.20 (A)

प्रारुप–26

परियोजना का नामः– नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना होगा।

लागू नहीं है।

ह0/–
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

2.10

प्रारुप–43

परियोजना का नामः– नाघर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

नाप नहीं

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित शून्य स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

(जगदीश सिंह बिष्ट)
वन दरोगा
सौ.लेख अनुभाग

वन क्षेत्राधिकारी
डीडीहाट

Sub. Divisional Officer
Didihat
Pithoragarh Forest Divi.

प्रारुप–35

परियोजना का नामः– नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

ह0/–

प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ

2·31

प्रारुप–34

परियोजना का नामः– **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

<u>भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

सहायक अभियन्ता
[illegible] खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0
पिथौरागढ़

प्रारुप—56

परियोजना का नामः— **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृती (यदि लागू हो) संलग्न की जाय।

लागू नहीं है।

(जगदीश सिंह बिष्ट)
वन क्षेत्राधिकारी
डीडीहाट अनुभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
डीडीहाट

Sub. Divisional Officer
Didihat
Pithoragarh Forest Divi.

2.37

प्रारुप–51

परियोजना का नामः– **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
ग्रामीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो0 नि0 वि0
पिथौरागढ़

2.32

प्रारुप–37

परियोजना का नामः– **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

ह0 /
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0 / –
जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
पिथौरागढ़

राजस्व उप निरिक्षक
क्षेत्र- चौपतोली
तहसील - पिथौरागढ़
जिला-पिथौरागढ़

तहसीलदार
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

प्रारूप - 33 2.28

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या जी0 एस0 – 01 / सड़क सरेखण / पिथौरागढ़ / 2012

जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना के अन्तर्गत्
नाघर कुमलता से गंगा सेरी मोटर मार्ग, लम्बाई 04 किमी0,
सड़क सरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

Photo copy Attested

जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना के अन्तर्गत् नाघर कुमलता से गंगा सेरी मोटर मार्ग, लंम्बाई 04 किमी0, सड़क सरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

1– प्रस्तावना: प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ को उक्त मार्ग का निर्माण करना राज्य योजना के अन्तर्गत् स्वीकृत हुआ है । अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण 15.07.2012 को श्री उदय राम, सहायक अभियन्ता एवं श्री के. एस. गड़िया, अपर सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। प्रस्तावित सरेखण का अध्ययन भूगर्भीय स्थिति, आकृति एवं पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया, ताकि सड़क निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिया जा सके।

2– स्थिति: यह सड़क सरेखण नाघर–कुमलता मोटर मार्ग के किमी0 04 ग्राम नाघर दौला से प्रारम्भ होकर गंगासेरी तक जाता है।

3– भूगर्भीय स्थिति: यह सड़क सरेखण भीतरी लेसर हिमालय के अन्तर्गत् पिथौरागढ़ जनपद में प्रस्तावित है। इह सरेखण "पिथौरागढ़ कैल्क ज़ोन" के गंगोलीहाट संस्तर और सोर स्लेट से होकर गुजरता है। इन चट्टानों में मुख्य रूप से 4 संधि समुच्चय मिलते है। इन चट्टानों में किया गया अध्ययन इस प्रकार है ।

1.	60–240 / उत्तर उत्तर पश्चिम / 42°	नति
2.	80–260 / उत्तर उत्तर पश्चिम / 40°	नति
3.	90–270 / उत्तर / 45°	नति
4.	95–275 / उत्तर उत्तर पूर्व / 35°	नति
5.	82–262 / दक्षिण दक्षिण पूर्व / 45°	नति
6.	95–275 / दक्षिण दक्षिण पश्चिम / 30°	नति
7.	20–200 / पश्चिम उत्तर पश्चिम / 60°	ज्वाइन्ट
8.	75–255 / दक्षिण दक्षिण पूर्व / 70°	ज्वाइन्ट
9.	10–190 / पूर्व दक्षिण पूर्व / 55°	ज्वाइन्ट
10	80–260 / उत्तर उत्तर पश्चिम / 35°	ज्वाइन्ट

इस सरेखण में भूगर्भीय विवर्तनिक कम निम्नवत है ।

मिट्टी की परत
डालामाइट एव डालामाइटी चूना प्रस्तर
स्लट
फाइलाइट
स्लट
मृण्मय चूना प्रस्तर

4– स्थल वर्णन: प्रस्तावित मोटर मार्ग नाघर–कुमलता मोटर मार्ग के किमी0 04 ग्राम नाघर दौला से प्रारम्भ होकर गंगासेरी तक जाता है। इस सड़क सरेखण में पहाड़ का ढलान सामान्य से मध्यम के बीच है। प्रस्तावित सड़क "पिथौरागढ़ कैल्क ज़ोन" के गंगोलीहाट संस्तर और सोर स्लेट से होकर गुजरता है। डोलोमाइट में [illegible] पर चर्ट की पट्टियॉ विद्यमान हैं। स्लेट कहीं – कहीं पर फाइलाइट प्रकृति का प्रतीत होता है। स्लेट [illegible] विदलन अच्छी तरह विकसित है। फाइलाइट काले एवं भूरे रंग का है तथा कहीं–कहीं पर [illegible] रंग का भी मिलता है। डोलोमाइट का विशिष्ट लक्षण गज–चर्म अपक्षय कई स्थानों पर दिखता [illegible] मृण्मय चूना प्रस्तर के साथ अन्तरासंस्तरित है। इस मार्ग में एक भी एच0 पी0 बैंड प्रस्तावित [illegible] सूखे/बरसाती नालें हैं। इसमें नाप भूमि तथा वन भूमि दोनों पड़ता है।

5— स्थाईत्व का विचारः इस सरेखण की स्थल–संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है ।

(1) यह सरेखण लेसर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में है।
(2) भूकम्पीय दृष्टि से यह भू–भाग जोन V में है।
(3) इसमें 04 सूखे/बरसाती नाले हैं।
(4) सरेखण वन भूमि एवं कृषि भूमिं दोनों से होकर गुजरता है ।
(5) सरेखण का अधिकतम ग्रेडिएन्ट 1:20 है ।
(6) सरेखण सामान्य से मध्यम् पहाड़ी ढ़लान पर प्रस्तावित है।
(7) सड़क निर्माण के समय पर्यावरण पर ध्यान देना होगा।

6— सुझावः इस सरेखण की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, स्थाईत्व का विचार, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भू–भाग में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं ।

(1) सूखे नालों पर स्कपर/डबल स्कपर/कल्वर्ट/काजवे/पुल का निर्माण किया जाए।
(2) पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।
(3) मलवा स्खलन/पात एवं गॉव वाले भाग में ब्रेस्ट/रिटेनिंग वाल का आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाय।
(4) मोटर मार्ग के निर्माण के समय गॉव वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
(5) मोटर मार्ग के निर्माण के समय भूकम्पीय मानकों का अनुपालन किया जाय।
(6) पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मार्ग का निर्माण किया जाय।
(7) पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मार्गो के मानकों के अनुरूप उपाय किए जाय।
(8) निर्माण के समय कृषि भूमि के ऊपरी मिट्टी की परत को बरबादी से रोका जाय।
(9) मिट्टी/मलवा वाले भाग में मार्ग के वाह्य भाग को उचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी मार्ग को पार कर न बहे जिससे मार्ग यथावत बना रहे।
(10) इस सरेखण में सड़क निर्माण के पश्चात् कहीं–कहीं पर भू–स्खलन की सम्भावनाएं हैं इसलिए सड़क निर्माण के समय पहाड़ी को अधिक काटकर सड़क बनाने के बजाय स्टोन वाल की सहायता से सड़क का निर्माण उचित होगा।
(11) अन्य आवश्यक उपाय जो मार्ग निर्माण में आवश्यक हो किए जाय।

7— निष्कर्षः उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणीः उपरोक्त मार्ग के सरेखण के निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत में विचार विमर्श किया गया ।

Photocopy Attested

छायाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़

(डा0 आर0 ए0 सिंह)
एसोसिएट प्रोफेसर – भूविज्ञान
एल0 एस0 एम0 रा0 स्ना0 म0 विद्यालय
पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड
Dr. R. A. Singh
Associate Professor (Geology)
L.S.M. Govt. P. G. College
Pithoragarh, U.K., India

2.33

प्रारुप–38

परियोजना का नामः– **नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

<u>वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
पिथौरागढ़

प्रारुप–7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from...P.W.D. Pithoragarh...for diversion under FCA-1980) of..1.19.ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of x..Naghar to Gaina Sen m.R.The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated..20...12...2014

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring...1.19.......ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. yes.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- No.

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- Not required.

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. ✓

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. No.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. Hence, The proposal is recommended for acceptence

(नोटः– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति / टिप्पणी आव यक रूप से अंकित की जाय)

Place:-..Pithoragarh..........

Date...23.12-2014......

(Signature)

Name.......Dr. I.P. Singh

Designation.........प्रभागीय वन अधिकारी

Office Seal ....पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

(जगदीश सिंह बिष्ट)
वन दरोगा
ओड्डलोरव अनुभाग

उप क्षेत्र अधिकारी
पिथौरागढ़

Sub. Divisional Officer
Didihat
Pithoragarh Forest Divi.